



प्रेस नोट दिनांक 01.08.2021 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर



अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में सुधीर कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा अभियुक्त अनुज निषाद उर्फ गोलू निषाद पुत्र दशरथ निषाद निवासी लक्ष्मीनगर थाना सोनौली जिला महाराजगंज हा0मु0आईटीआई चौराहा चरगावां ब्लाक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद कर दिनांक- 31.07.21 को समय- 18.00 बजे रामपुर से भगता मार्ग के 10 कदम दूरी से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 494/21 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अनुज निषाद उर्फ गोलू निषाद पुत्र दशरथ निषाद निवासी लक्ष्मीनगर थाना सोनौली जिला महाराजगंज हा.मु. आईटीआई चौराहा चरगावां ब्लाक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 494/21 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी:-

एक अदद तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तारी का स्थान /समय -

रामपुर से भगता मार्ग के 10 कदम दूरी पर / दिनांक 31.07.2021 समय 18.00 बजे

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि श्री पुरुषोत्तम आनन्द सिंह चौकी प्रभारी ई0 कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 कृष्ण कुमार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 रमाकांत यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर